

न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 31/21

वर्ष 2021

GCMS No- 2021/150

बउनवानी:- 1. झण्डूलाल पुत्र नानजी मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 2400 रकबा 0.14 है0 ख0न0 2401 रकबा 0.26 है0 पर लगे हुए अमरुद्ध, के पेडो का मुआवजा देने बाबत।

उपस्थित:-1. श्री हरकेश मीना

2. श्री अंशोक शर्मा

वकील प्रार्थी

वकील अप्रार्थी 2

—: निर्णय :-

दिनांक:- 19.10.2023

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 2400 रकबा 0.14 है0 ख0न0 2401 रकबा 0.26 है0 पर लगे हुए अमरुद्ध, के पेडो का मुआवजा देने बाबत जारी नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भूअवा./2021/839 दिनांक 01.03.2021 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली-बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0 2400 रकबा 0.14 है0 एवं ख0न0 2401 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम डेकवा भी अधिग्रहण किया गया। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काशत की है जिसमे प्रार्थी के अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध एवं वास्ता नहीं है उपरोक्त आराजीयात ख0न0 2400 पर 50 अमरुद्ध के पौधे व ख0न0 2401 पर 100 अमरुद्ध के पौधे सहित प्रार्थी के लगभग 150 अमरुद्ध के पेड थे जिनकी 2020 मे आयु 6 वर्ष थी किन्तु उक्त 150 अमरुद्ध के पौधे का अवार्ड का नोटिस प्रार्थी को नहीं दिया गया है। प्रार्थी को केवल मात्र भूमि का ही अवार्ड दिये जाने बाबत नोटिस जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि उक्त मुआवजा बाबत पूर्व मे प्रार्थी द्वारा आपत्ति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दर्ज करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवायी नहीं की गयी है। अतः ख0न0 2400 व 2401 पर लगे हुए अमरुद्धो के 150 पौधो का मुआवजा प्रार्थी को दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

.....(1).....




(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिले में ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" एवं "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमें अवाप्त भूमि की *किस्म बरानी-2 निजी सिंचित* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र में दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये हैं प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष में जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम डेकवा की भूमि ख0न0 2400 रकबा 0.14 है0 की अवार्ड राशि 2,74,037/-रु प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान क्रमशः कन्हैयलाल, रमेश पुत्र चतरु हि0 1/3, कल्याण पुत्र मोहरया हि0 1/6, झण्डू, लाटसाहब पुत्र कानजी हि01/6 के अनुसार किया जा चुका है। ख0न0 2401 रकबा 0.26 है0 की अवार्ड राशि 5,08,925/-रु का भुगतान टीकाराम,पृथ्वीराज पुत्र अम्बालाल को किया गया है तथा ख0न0 2401 पर पुख्ता निर्माण का अवार्ड संबंधितों को किया जा चुका है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर उक्तानुसार अवाप्त भूमि ख0न0 2400 एवं 2401 पर प्रार्थी का कोई अमरूद का बगीचा नहीं है उक्त ख0न0 की संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वत् 2073 कन्हैया, टीकाराम के नाम से जिसमें बगीचा अंकित है। ख0न0 2401 का प्रार्थी खातेदार भी नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार उक्त ख0न0 पर प्रार्थी का अमरूद का बगीचा होना साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस में निवेदन किया।


.....(2).....


(सुरेश कुमार ओल)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम डेकवा की भूमि ख०न० 2400 एवं 2401 में लगे हुए अमरुद के 150 पौधों का अवार्ड अपने पक्ष में जारी करवाने बाबत निवेदन किया गया है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ख०न० 2400 रकबा 0.14 है० भूमि की अवार्ड राशि 2,74,037/-रु प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान कमशः कन्हैयालाल, रमेश पुत्र चतरू हि० 1/3, कल्याण पुत्र मोहरया हि० 1/6, झण्डू, लाटसाहब पुत्र कानजी हि० 1/6 के अनुसार किया जा चुका है। ख०न० 2401 रकबा 0.26 है० भूमि की अवार्ड राशि 5,08,925/- रु का भुगतान टीकाराम, पृथ्वीराज पुत्र अम्बालाल को किया गया है तथा ख०न० 2401 पर पुख्ता निर्माण का अवार्ड संबंधितों को किया जा चुका है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर उक्तानुसार अवाप्त भूमि ख०न० 2400 एवं 2401 पर प्रार्थी का कोई अमरुद का बगीचा नहीं है उक्त ख०न० की संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वत् 2073 कन्हैया, टीकाराम के नाम से जिसमें बगीचा अंकित है तथा ख०न० 2401 का प्रार्थी खातेदार भी नहीं है। इस प्रकार वकील अप्रार्थी के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार उक्त ख०न० 2400 रकबा 0.14 है० एवं ख०न० 2401 रकबा 0.26 है० पर प्रार्थी का अमरुद का बगीचा नहीं पाया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अवार्ड के स्वामित्व को लेकर पक्षकारान मध्य विवाद होने की स्थिति में स्वामित्व का निर्धारण किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।


(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर